संख्या- 19/2018/2203/बयालिस-2018-16(विविध)/2009टी0सी0

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूददीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव, प्रबन्ध समिति,
उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 15 नवम्बर, 2018**

विषय :- **वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग- 6 में स्वशासी संस्थाओं के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के सम्बनध में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी के अधीन संचालित स्पोर्टस कालेजों के विभिन्न श्रेणी के पदों, पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के सम्बन्ध में वेतन संरचना के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 280/एस0सी0/(7वां वेतन)/2018, दिनांक 14.06.2018 तथा वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग- 2 द्वारा जारी संकल्प संख्या- 64/2016-वे0आ0-2-2645/दस-04(एम)/2016, दिनांक 16.12.2016 तथा शासनादेश संख्या- 67/2016-वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22.12.2016 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के अधीन संचालित स्पोर्टस कालेज, लखनऊ/गोरखपुर/सैफई में कार्यरत सहायक अध्यापक/अध्यापकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 7वें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार लागू पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 2016 के अनुसार संलग्न पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स व्यवस्था को स्वीकृत किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के अधीन संचालित स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर/लखनऊ/सैफई के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण, मंहगाई भत्ता अन्य लाभ दिनांक 01 जनवरी, 2017 से नकद भुगतान किया जायेगा तथा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक के देय अवशेष का भुगतान राज्य कर्मचारियों के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसार किया जायेगा।

3- उक्त के अतिरिक्त अवशेष का 80 प्रतिशत भाग भविष्य निर्वाह निधि में तथा 20 प्रतिशत भाग में से देय आयकर की धनराशि को काटकर शेष नगद भुगतान किया जायेगा। ऐसे कर्मचारी जिनका भविष्य निर्वाह निधि खाता नहीं खुला हो, को देय अवशेष उनके विकल्प के आधार पर एन0एस0सी0 के रूप में अथवा उनके पी0पी0एफ खाते में जमा करा दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नयी पेंशन योजना के कर्मचारियों को देय अवशेष का 10 प्रतिशत उनके टियर- 1 खाते में तथा अवशेष 90 प्रतिशत राशि कार्मिक के विकल्प के अनुसार एन0एस0सी0 के रूप में अथवा उसके पी0पी0एफ0 खाते में जमा करा दी जाय।

4- राज्य सरकार अथवा किसी अन्य अधिष्ठान के अधिकारी/कर्मचारी जो कि उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के अधीन संचालित स्पोर्टस कालेजों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात है, उन्हें वेतन मैट्रिक्स का लाभ अपने मूल विभाग/अधिष्ठान के पद के संवर्ग में लागू निर्णय के अनुसार अनुमन्य होगा।

5- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के अधीन संचालित स्पोर्टस कालेजों के कार्मिकों का वेतन निर्धारण राज्य कर्मचारियों के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या- 67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या- 2/2018/वे0आ0-2-78/दस-04(एम)/2016, दिनांक 31 जनवरी, 2018 में दी गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

6- उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के अधीन संचालित स्पोर्टस कालेजों के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतन वृद्धियों को अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था, मंहगाई भत्ता, राज्य कर्मचारियों की भांति समय-समय पर निर्गत शासनादेशानुसार अनुमन्य होगा।

7- उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के अधीन संचालित स्पोर्टस कालेजों के कार्मिकों को ए0सी0पी0 की व्यवस्था में 10 वर्ष, 16 वर्ष, 26 वर्ष की सेवा पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने की वर्तमान व्यवस्था को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में इस प्रतिबन्ध के अधीन बनाये रखा जायेगा कि इसकी अनुमन्यता हेतु संतोषजनक सेवाओं के परीक्षण का वही मानक होगा, जैसाकि राज्य कर्मचारियों के लिए अपनाया गया है। पदोन्नति/ए0सी0पी0 प्राप्त होने पर वेतन निर्धारण वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग- 2 के शासनादेश संख्या- 67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर 2016, एवं शासनादेश संख्या- 2/2018/वे0आ0-2-78/दस-04(एम)/2016, दिनांक 31 जनवरी, 2018 की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

8- उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के अधीन संचालित स्पोर्टस कालेजों के कार्मिकों के कार्य-कौशल एवं अच्छे कर्मचारियों के मनोबल को प्रोत्साहित करने तथा ऐसे कार्मिक, जो अपने दायित्वोंके निर्वहन में पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी रूचि नहीं लेते है, उनकी इस मानसिकता को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से ऐसे कार्मिकों को, जो प्रथम 16 वर्षकी सेवा पूर्ण करने तक ए0सी0पी0 अथवा नियमित पदोन्नति के निर्धारित मापदण्ड को पूरा नहीं करते है, उन्हें आगे वार्षिक वेतन वृद्धियॉ स्वीकृत करने के संबंध में राज्य कर्मचारियों की भांति व्यवस्था लागू होगी।

9- ऐसे पद/संवर्ग, जिनके वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान का उच्चीकरण/ संशोधन दिनांक 01 जनवरी, 2016 के बाद एवं इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि तक हुआ है, के पदधारकों के यह विकल्प होगा कि वह या तो दिनांक 01 जनवरी 2016 को अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित वेतन का चयन करें अथवा ऐसे मामलों में जहॉ किसी कार्मिक के पद के ग्रेड वेतन का उच्चीकरण दिनांक 01 जनवरी, 2016 एवं इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि तक हुआ है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वहॉ उसे यह विकल्प होगा कि वह ग्रेड वेतन के उच्चीकरण की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेने का चयन कर लें।

10- उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के अधीन संचालित स्पोर्टस कालेजों के ऐसे पेंशनर जिन्हें पेंशन की सुविधा पूर्व में राजकीय विभागों के सादृश्य पर अनुमन्य है, हेतु पेंशन पुनरीक्षित की वही प्रक्रिया अपनाई जाय, जो प्रक्रिया राजकीय पेंशनरों के सम्बन्ध में अपनायी गयी है। साथ ही अन्य ऐसे सेवा-नैवृत्तिक लाभों, जो पूर्व में राजकीय विभागों के सादृश्य पर अनुमन्य है, का पुनरीक्षिण भी राजकीय विभागों के पेंशनरों हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया जाय।

11- उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के अधीन संचालित स्पोर्टस कालेजों के कार्मिकों को राजकीय कार्मिकों से इतर कोई सुविधा अनुमन्य है तो उसका पुनरीक्षण राज्य सरकार की सहमति उपरान्त किया जायेगा।

12- इस शासनादेश के निर्गत होने के दिनांक से उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के अधीन संचालित स्पोर्टस कालेजों में पदों पर भर्ती तथा पदों का सृजन पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ही किया जायेगा।

13- उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के अधीन संचालित स्पोर्टस कालेजों के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स चुनने का विकल्प (संलग्नक- 2 तथा बचनबद्ध (संलग्नक-3) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग- 2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या- 67/2016/ वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

14- उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के फलस्वरूप यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण सामान्य विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से किया जायेगा।

15- किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया जायेगा।

16- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- ई- 5-1593/दस-2018, दिनांक- 13 नवम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नक:- वेतन मैट्रिक्स तथा विकल्प का प्रारूप।</u>

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या- 19/2018/2203(1)बयालिस-2018, तद्दिनांक।</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1- महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4- निदेशक, पेंशन पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/गोरखपुर/इटावा।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
7- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग- 2
8- निदेशक, खेल, खेल निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9- उप निदेशक, एन0आई0सी0 (प्रशासनिक भवन) ई-फ्लोर छठां तल योजना भवन, लखनऊ।
10- प्रधानाचार्य, गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ/प्रधानाचार्य, वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर/प्रधानाचार्य, मेजर ध्यान चन्द स्पोर्टस कालेज, सैफई, इटावा।
11- कम्प्यूटर प्रति/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।